न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 02/2025 आवंटन निरस्ती

GCMS No. 2025/88

1. किशन पिता लोगर मेघवाल निवासीः लई का गुडा, पटवार हल्का बड़ी, तहसील–बड़गांव, उदयपुर
2. मनीष मेघवाल पिता किशन मेघवाल निवासीः लई का गुडा, पटवार हल्का बड़ी, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती हीराबाई पत्नी स्व. भेरूलाल निवासीः मकान नंबर 299 के.ए., उपली बड़ी, तहसील–बड़गांव उदयपुर
2. श्री अम्बालाल पिता स्व. भेरूलाल निवासीः मकान नंबर 299 के.ए., उपली बड़ी, तहसील–बड़गांव उदयपुर
3. श्री भूरीलाल पिता स्व. भेरूलाल निवासीः मकान नंबर 299 के.ए., उपली बड़ी, तहसील–बड़गांव उदयपुर
4. श्री भंवरलाल पिता लाला गमेती निवासीः गजेला की भीलवाडा, बिलोता, तहसील–नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
5. तहसीलदार बड़गांव, लैण्ड होल्डर, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 विपक्षीगण के पिता पृथा को किया गया आवंटन निरस्त कराये जाने बाबत्।

उपस्थितः 1. श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री तरूण श्रीमाल अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4

निर्णय

दिनांकः– 23/09/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा लई का गुडा, के साबिक आराजी नंबर 200 में से 5 बीघा जमीन का आवंटन पृथा पिता सूरता भील को दिनांक 28.10.1977 को किया गया था जिसका म्यूटेशन पृथा पिता सूरता के नाम गैर खातेदारी हक से खुलकर उसका आराजी नंबर 200/19 रकबा 5 बीघा जमाबन्दी में गैर खातेदारी

जिला कलक्टर
उदयपुर

हक से इन्द्राज किया गया। इस जमीन पर पृथा का एक भी दिन कब्जा नहीं रहा तथा पृथा का स्वर्गवास होने पर कथित जमीन उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई जबकि संवत् 2034 में कथित जमीन का सेटलमेंट शुरू हुआ तथा सेटलमेंट में साबिक आराजी नंबर 200/19 के हाल आराजी नंबर 672 रकबा 0.9800 हैक्टेयर दर्ज हुआ। इस जमीन पर प्रार्थी संख्या 1 के पिता लोगर ने एक कच्चे मकान का जो कि केलूपोश था, का निर्माण कार्य सन् 1970 में करवाया था जिसका एरिया 5400 वर्गफिट था तथा इस जमीन पर बाउन्ड्रीवॉल भी बना ली थी तथा यह जमीन कहां पर स्थित है यह भी आवंटी का पता नहीं था केवल पटवारी हल्का से मिलकर कथित जमीन का आवंटन करावाया तथा इस आवंटन के पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ अन्यथा प्रार्थी संख्या 1 के पिता लोगर जी आवंटन के लिए अवश्य एप्लाई कर देते। कथित जमीन बंजड होकर पड़त है, इस पर एक भी दिन काश्त नहीं हुई है। प्रार्थी संख्या 1 के पिता का स्वर्गवास सन् 1982 में ही हो गया तब से प्रार्थी ही इस जमीन पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने इस जमीन पर से कच्चे मकान का निर्माण कार्य 7 वर्ष पहले हटाकर वहां पक्के मकान का निर्माण कार्य करवाया तथा बाउन्ड्रीवॉल में बडा गेट भी लगाया तथा सन् 2010 में बोरिंग करवाया। गांव में पहले लाईट नहीं थी, लाईट आने पर लाईट का कनेक्शन लिया गया है। प्रार्थीगण व उनका परिवार वहीं निवास करते है। आवंटन के समय आवंटन कमेटी का पूरा कोरम भी नहीं था केवल दो मेम्बर ही उपस्थित थे जबकि कोरम के लिए तीन मेम्बर का हाजिर रहना आवश्यक था इस कारण कथित आवंटन इसी आधार पर निरस्त किया जाना आवश्यक है। कथित आवंटन के पूर्व न तो उद्घोषणा पत्र जारी हुआ था न उद्घोषणा पत्र का प्रकाशन ही हुआ था न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल की गई। कथित आवंटन धोखे से एवं मिसरिप्रजेंटेशन से करवाया था । मौके परं पृथा को कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया तथा पृथा एवं उसके वारीसान द्वारा एक दिन भी काश्त नहीं की गई थी जबकि आवंटन के पहले वर्ष में आधी जमीन पर व दूसरे वर्ष में पूरी जमीन पर काश्त करना आवश्यक था किसी विशेष कारण से एक साल की अवधि बढाई जा सकती थी परन्तु इस मामले में कोई अवधि नही बढ़ाई गई। यह आवंटन इसी आधार पर निरस्त कराया जाना आवश्यक है। इस मामले में आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई साथ ही खातेदारी अधिकार भी धोखे से प्राप्त कर लिये गये थे जबकि वास्तव में शर्तो की पालना नहीं करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। कथित आवंटन बिल्कुल गलत एवं धोखे से कराया गया है। कथित आवंटन, आवंटन कमेटी की राय नहीं ली जाकर नियमन कमेटी की राय पर दिनांक 28.10.1977 को किया गया जबकि मामला नियमन का नहीं था। इस जमीन के संबंध में आवंटन की राय भी दिनांक 28.10.1977 को दी गई तथा पट्टा भी दिनांक 28.10.1977 को जारी किया गया। यहां तक कि पटवार मण्डल की रिपोर्ट भी बाद में दिनांक 07.11.1979 को की गई। आवंटन का प्रार्थना पत्र में पहला कॉलम खाली है उस पर कोई तारीख भी लगी हुई नहीं है, गवाह के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा फार्म किस स्थान पर भरा गया उस

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर राज.

जिला कलक्टर
उदयपुर

स्थान का नाम भी खाली है, यहां तक की प्रार्थी का व्यवसाय काश्त नहीं है, वह बाहर मजदूरी करता है वह भूमिहिन काश्तकार नहीं होते हुए भी उसे उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया जो स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। कथित जमीन के पीछे भूमाफिया पडे हुए है तथा भूमाफियों ने इनसे इंकरार कर लिया है तथा इसके संबंध में धारा 90–क के तहत कार्यवाही करने हेतु नगर विकास प्रन्यासं उदयपुर में प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है। आवंटन कमेटी का प्रोपर कोरम नहीं था बिना कोरम के ही आवंटन कर दिया गया। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। जब शर्तो की पालना ही नहीं की गई तो गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है जो खातेदारी अधिकार दिये गये है वह एबइनिश्योबोइड है। उक्त जमीन पर सन् 1970 से प्रार्थी संख्या 1 के पिता लोगर को कब्जा होते हुए भी सन् 1977 में आवंटन विपक्षीगण के पिता के नाम कर दिया। कानूनन विपक्षी को इस मामले में धारा 183–बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत दावा करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए धारा 183–बी के तहत नोटिस देकर कार्यवाही शुरू की तथा ये सब कार्यवाही भूमाफियां जिन्होंने इस जमीन को खरीदने का सौदा कर लिया वो ही करवा रहे है। धारा 183–बी की कार्यवाही में पृथा के वारिस ने अपने आपको अनुसूचित जाति का सदस्य बताया जबकि वे अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति के सदस्य तो उस केस में हम विपक्षीगण है तथा इस मामले में हम प्रार्थीगण होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पिता पृथा पिता सूरता भील को किया गया आवंटन दिनांक 28.10.1977 को निरस्त फरमाया जाकर कथित भूमि (हाल आराजी संख्या 672 रकबा 0.9800 हैक्टेयर) को राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण या उनके खरीददार के नाम से हटाया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यय की गई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब मूल प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा लियों का गुड़ा के साबिक आराजी नंबर 200 में से रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन पृथा पिता सूरता भील को दिनांक 28.10.1977 को हुआ। कथित आवंटन से पूर्व कभी कोई उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। जिसका गैर खातेदारी हक से म्यूटेशन खोला गया जिसका आराजी संख्या 200/19 रकबा 5 बीघा दर्ज किया गया। सेटलमेंट में साबिक आराजी नंबर 200/19 के हाल आराजी नंबर 672 रकबा 0.9800 हैक्टेयर दर्ज हुआ। इस जमीन पर पृथा का एक दिन भी कब्जा नहीं रहा। कथित आवंटन में आवंटन कमेटी की राय नहीं ली जाकर नियमन कमेटी की राय ली गई जबकि मामला नियमन का नहीं था यहां तक कि पटवार

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

मण्डल की रिपोर्ट भी बाद में दिनांक 07.11.1979 को की गई, जबकि आवंटन की सारी कार्यवाही एक दिन में ही कर पट्टा भी दिनांक 28.10.1977 को जारी किया गया। पृथा का व्यवसाय काश्त नहीं था, वह बाहर मजदूरी करता था वह भूमिहीन काश्तकार नहीं होते हुए भी उसे उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया जो स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। कथित जमीन के पीछे भूमाफिया पडे हुए है तथा भूमाफियों ने इनसे इकरार कर लिया है तथा इसके संबंध में धारा 90–क के तहत कार्यवाही करने हेतु नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है। आवंटन कमेटी का प्रोपर कोरम नहीं था बिना कोरम के ही आवंटन कर दिया गया। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। जब शर्तो की पालना ही नहीं की गई तो गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है जो खातेदारी अधिकार दिये गये है वह एबइनिश्योबोइड है। उक्त जमीन पर सन् 1970 से प्रार्थी संख्या 1 के पिता लोगर को कब्जा होते हुए भी सन् 1977 में आवंटन विपक्षीगण के पिता के नाम कर दिया। कानूनन विपक्षी को इस मामले में धारा 183–बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत दावा करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए धारा 183–बी के तहत नोटिस देकर कार्यवाही शुरू की तथा ये सब कार्यवाही भूमाफियां जिन्होंने इस जमीन को खरीदने का सौदा कर लिया वो ही करवा रहे है। धारा 183–बी की कार्यवाही में पृथा के वारिस ने अपने आपको अनुसूचित जाति का सदस्य बताया जबकि वें अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति के सदस्य तो उस केस में हम विपक्षीगण है तथा इस मामले में हम प्रार्थीगण होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। धोखे से भूमि का आवंटन स्वीकृत कराने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पिता पृथा पिता सूरता भील को किया गया आवंटन दिनांक 28.10.1977 को निरस्त फरमाया जाकर कथित भूमि (हाल आराजी संख्या 672 रकबा 0.9800 हैक्टेयर) को राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण या उनके खरीददार के नाम से हटाया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अपने कथनों के ताईद में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:–

1. RRD 2002 page 1
2. RRD 2007 page 719
3. RRD 1990 page 465

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मौजा लई का गुडा के साबिक आराजी नंबर 200 में से 5 बीघा जमीन का आवंटन पृथा पिता सूरता भील को दिनांक 28.10.1977 को किया गया था। जिसका म्यूटेशन पृथा पिता सूरता भील के नाम से गैर खातेदारी हक से खुलकर उसका आराजी नंबर 200/19 रकबा 5 बीघा, जमाबंदी में गैर

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर राज.

जिला कलक्टर
उदयपुर

खातेदारी हक से इन्द्राज किया गया, यह कथन स्वीकार है। पृथा पिता सूरता भील का एक दिन भी कब्जा नहीं रहा का कथन अस्वीकार है। पृथा का आवंटन की दिनांक से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। पृथा के स्वर्गवास के पश्चात् कथित जमीन उसके वारीसान के नाम होना स्वीकार है। सेंटलमेंट में साबिक आराजी नंबर 200/19 का हाल आराजी नंबर 672 रकबा 0.9800 हैक्टेयर दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थी संख्या 1 के पिता लोगर ने एक कच्चे मकान जो कि केलुपोश था का निर्माण करवाया व बाउण्ड्रीवॉल बनाने का कथन असत्य आधारहीन एवं भ्रामक होने से अस्वीकार है। हाल ही में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी भंवरलाल की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और उस पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार बड़गांव के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण द्वारा तहसीलदार बड़गांव द्वारा उपरोक्त प्रकरण में की जा रही कार्यवाही को प्रभावित करने की नियत से पश्चात्वर्ती सोच के आधार पर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है। मौके पर पूर्व में न तो कोई झोपड़ा था ना ही कोई बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई थी। उत्तरदाता विपक्षी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य है और प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर उत्तरदाता विपक्षी की भूमि पर कब्जा करने की नियत से समय–समय पर येनकेन प्रकारेण फर्जी दस्तावेज पेश कियें जाते रहे है। जिसके संबंध में विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक शिकायत पुलिस थाना बड़गांव में प्रस्तुत की गई। पुलिस के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पंचायत बड़ी का दिनांक 29.03.1985 को जारी पट्टा क्रमांक 13634 बुक नंबर 137 प्रस्तुत किया गया, जिस पट्टे में ना तो भूमि का कोई आराजी नंबर ही अंकित है और उक्त पट्टे में भूमि का 30 बाई 45 दर्ज होकर 1350 वर्गफिट का होना कथित किया गया है जबकि उक्त भूमि कहां स्थित है उसका कोई वर्णन उक्त पट्टे में नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा फर्जी पट्टे की आड़ में उत्तरदाता विपक्षी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और फर्जी पट्टा बनाकर प्रस्तुत किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि ना तो कभी ग्राम पंचायत के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी और ना ही ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि का पट्टा तैयार किये जाने का कोई अधिकार ही प्राप्त था। आवंटन के संबंध में की गई समस्त आपत्तियां आधारहीन होने से अस्वीकार है। 7 वर्ष पूर्व पक्का मकान व बाउण्ड्रीवॉल में गेट तथा लाईट कनेक्शन लेने का कथन अस्वीकार है। वर्ष 2006 से 2022 तक गुगल मेप से स्पष्ट है कि वादग्रस्त स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थीगण आपराधिक किस्म के व्यक्ति है जो विपक्षी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसका कोई अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। पृथा पिता सूरता भील को आवंटित की गई भूमि पृथा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.10.1991 को गिसु गमेती पिता नाथू गमेती, लोगर गमेती पिता श्री गिसु गमेती, श्रीमती खुमानी पत्नी श्री गिसु, श्रीमती अंजु पत्नी श्री लोगर व बंशीलाल पिता श्री काना गमेती, दौला पिता श्री रूपा गमेती, हुक्मा पिता श्री रूपा गमेती, रूपा पिता श्री देवा गमेती, गोपाल पिता श्री देवा गमेती को विक्रय

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

कर कब्जा सुपूर्द किया गया। तत्समय राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि पृथा पिता सूरता गमेती के नाम दर्ज थी। तत्पश्चात् उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई। गिसु गमेती पिता नाथू गमेती, लोगर गमेती पिता श्री गिसु गमेती, श्रीमती खुमानी पत्नी श्री गिसु, श्रीमती अंजु पत्नी श्री लोगर व बंशीलाल पिता श्री काना गमेती द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2008 के माध्यम से 1/2 हिस्सा तेजराम पिता उदयराम को विक्रय किया। तत्पश्चात् रूपलाल उर्फ रूपा पिता श्री देवा गमेती एवं तेजराम पिता उदयलाल भील द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2012 के माध्यम से उत्तरदाता विपक्षी को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किया गया तब से प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। तत्पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेखों उपेन्द्र कुमार पिता श्री रिछपाल भील, तेजराज पिता श्री उदयराम, भंवरलाल पिता श्री लाल गमेती, लक्ष्मण पिता श्री वर्दा गमेती के नाम पर दर्ज रही। यही नहीं प्रार्थी के पूर्व वर्ष 2013 में हिताधिकारी द्वारा पूर्व में सीमांकन की जानकारी भी करवाई गई जिससे स्पष्ट है कि उत्तरदाता विपक्षी प्रांरभ से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। हाल ही में उक्त भूमि के सहखातेदारों द्वारा विधिअनुसार उक्त भूमि का बंटबाड़ा करवाया गया, जिसमें खाता संख्या नया 431 एवं 16 पुराना, आराजी संख्या 1189/672 एवं 1192/672 कुल किता 2 रकबा 0.1560 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 1189/672 रकबा 0.0690 हैक्टेयर के कुछ भाग पर कब्जा करने का प्रयास किया गया उसी कडी में प्रार्थीगण द्वारा यह असत्य आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह वर्णन नहीं किया है कि किस प्रकार धोखे एवं मिसरिप्रजनटेशन के आधार पर आवंटन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने दुरस्त उद्देश्यों की प्राप्ति के आवंटन के लगभग 50 वर्षो पश्चात् आवंटन को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से विधित मयाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन विधिनुसार तत्समय प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रार्थना पत्र का आधार तैयार करने की गरज से असत्य कथन अंकित किये है। प्रार्थी को यदि उपरोक्त तथ्यों की जानकारी थी तो प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया हैं उपरोक्त आराजी संख्या 1189/672 उत्तरदाता विपक्षी के कब्जेकाश्त है, जिस हेतु विपक्षी को अपने सभी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी की भूमि हड़पने की गरज से असत्य कथन अभिवचन किये गये है। आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो का पालन किया गया और तत्पश्चात् उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार दर्ज की गई जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो का पालन किया गया। पृथा द्वारा उपरोक्त भूमि का बेचान वर्ष 1991 में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियमानुसार किया गया है, जिस हेतु पृथा के वारिसान को कोई कार्यवाही करने का अधिकार उक्त भूमि में शेष नहीं है। प्रार्थी के पिता को आवंटन

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उनके द्वारा तत्समय क्यों नहीं की गई, उसका कोई स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया गया। यही नहीं यदि प्रार्थी व उसके पिता को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी थी तो उनके द्वारा 50 वर्षो तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तरदाता विपक्षी द्वारा विधि प्रदत्त अधिकारो के तहत 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जा रही है, जो सक्षम न्यायालय में लंबित है। जिसके संबंध में आपत्ति करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उत्तरदाता विपक्षी की वादग्रस्त भूमि हड़पने की नियत से उस पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाने की कुचेष्टा की गई है जिस हेतु विपक्षी द्वारा सक्षय न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण को प्रारंभ से ही समस्त तथ्यों की जानकारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन के लगभग 50 वर्षो पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, यही नहीं प्रार्थीगण द्वारा जानकारी के संबंध में जानबुझकर विस्तृत तथ्यों को उल्लेख नहीं किया गया है, जो प्रार्थीगण की पश्चात्वर्ती सोच को परिलक्षित करता है। नियमानुसार प्रार्थना पत्र की मयाद विधि द्वारा मुकर्रर की गई है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र करने में हुई देरी को क्षम्य कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आराजी संख्या 672 उपेन्द्र कुमार, तेजराम, भंवरलाल एवं लक्ष्मण लाल के संयुक्त नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि थी किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उन्हें इस प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है और केवल मात्र उत्तरदाता विपक्षी के हक व हिस्से में आई भूमि आराजी संख्या 1189/672 की हद तक तथ्य अंकित कर झूठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थना पत्र में समस्त व्यक्तियों के आवंटन की निरस्ती की दाद चाही गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर सव्यय अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा अपने कथनों की ताईद में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. 2017 RBJ page 31
2. 2019 RBJ page 77
3. 2016(2) WLC(Raj.) page 96
4. RRD Nov. 2006 page 718
5. RRT 2014(2) page 760
6. 2011(2) DNJ Raj. page 709

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया गया। मौजा लई का गुडा के साबिक आराजी नम्बर 200 में से 5 बीघा जमीन का आवंटन पृथा पिता सूरता भील को दिनांक 28.10.1977 को हुआ एवं खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। भूमि आंवटन के लगभग 48 वर्ष आंवटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि खातेदारी अधिकार भी कई वर्ष पूर्व प्रदान किये जा चुके है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात आंवटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस एवं समुचित कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। ना ही पूर्व में कभी आपत्ति

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

किये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलबध है। वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भूमि का बंटवाडा होकर आराजी संख्या 1189/672 रकबा 0.0870 हे. एवं 1192/672 रकबा 0.0870 हे. भूमि विपक्षी संख्या 4, 1190/672 रकबा 0.4320 हे. भूमि उदयपुर विकास प्राधिकरण एवं 1191/672 रकबा 0.3920 हे. भूमि उपेन्द्र कुमार, लक्ष्मणलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। मूल आंवटी/उनके वारिसों के नाम आज भूमि दर्ज रिकार्ड नही है एवं जिन खातेदारो के नाम वर्तमान में भूमि दर्ज रिकार्ड है उसमें से केवल विपक्षी संख्या 4 को ही पक्षकार बनाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर राज.

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर